राजेश कुमार, भा०प्र०से०, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, द्वारा दिनांक-27.8.2025 को बिहार विधान सभा आम चुनाव-2025 के मतदान केन्द्रों पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधायें (AMF) एवं CAPF के आवासन हेतु व्यवस्था तथा वाहनों की आपूर्ति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आश्वस्त बुनियादी सुविधाएँ (AMF) तथा अन्य मामलों से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं पर विभाग-वार समीक्षा की गई :-

- पेयजल
- शौचालय
- विद्युत आपूर्त्ति
- फर्नीचर
- रैम्प
- साईनेज
- शेड
- अन्यान्य

उक्त न्यूनतम आश्वस्त बुनियादी सुविधा के बिन्दुओं पर की गई समीक्षा के क्रम में निम्नांकित स्थिति दृष्टिगत हुआ :-

- <u>शिक्षा विभाग :-</u> जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा बताया गया केवल एक मतदान केंद्र पर बिजली की समस्या है। उन्हें वरीय पदाधिकारी के माध्यम से सभी मतदान केन्दों का निरीक्षण कराने का निदेश दिया जाता है।
- <u>कल्याण/समाज कल्याण विभाग</u> :- जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि 1 मतदान केंद्र अमौर के सामुदायिक भवन में स्थित है। सभी मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएँ/व्यवस्थाएँ निदेशानुसार तय तिथि तक पूरी कर ली जायेगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अररिया के प्रतिनिधि को मतदान केंद्रों का भौतिक रूप से स्थल Verification करने का निदेश दिया गया।
- <u>पंचायती राज विभाग</u> :- पंचायती राज विभाग के उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सभी मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएँ/व्यवस्थाएँ निदेशानुसार 10 सितम्बर तक पूरी कर ली जायेगी। पंचायती राज पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि 11 मतदान केंद्र में बिजली की व्यवस्था नहीं है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, अररिया को निदेश दिया गया कि मतदान केंद्रों का भौतिक रूप से स्थल Verification कराकर आवश्यक कार्रवाई किया जाय।
- <u>बिजली विभाग</u> :- कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, बारसोई द्वारा बताया गया कि उनके अधीन 1129 मतदान केंद्र स्थित हैं तथा 02 चलंत मतदान केंद्र हैं। सभी जगह बिजली की व्यवस्था है। केवल चलंत मतदान केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि पूर्णिया स्थित सभी मतदान केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था है। केवल आँगनबाड़ी केंद्रों में नहीं है। अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल द्वारा बताया गया कि सभी मतदान केंदों पर बिजली की व्यवस्था कर दी जायेगी।
- <u>कल्याण विभाग</u> :- उप निदेशक, कल्याण द्वारा बताया गया कि उनके अधीन केवल एक भवन में एक हीं मतदान केंद्र अवस्थित है। जिसमें सभी सुविधाएँ उपलब्ध है। केवल रैम्प नहीं है। अन्य कोई समस्या नहीं है। उप निदेशक, कल्याण को मतदान केंद्रों का भौतिक रूप से स्थल Verification कर अद्यतन प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2025 को समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- <u>कृषि विभाग</u> :- कृषि पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि उनके अधीनस्थ भवन में केवल एक मतदान केंद्र स्थित है और सभी आश्वस्त न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कटिहार में कृषि बाजार समिति में 6 मतदान केंद्र हैं तथा अररिया में कृषि फार्म में 2 मतदान केंद्र अवस्थित हैं, जो जर्जर अवस्था में है। पूर्णिया कृषि विभाग में 2 मतदान केंद्र स्थित हैं तथा सभी आश्वस्त न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

- **सहकारिता विभाग** :- जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि किशनगंज में सहकारिता के अधीन कुल 4 मतदान केंद्र अवस्थित है। सभी मतदान केंद्रों पर आश्वस्त न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। केवल एक मतदान केंद्र (रायपुर पैक्स गोदाम) के शौचालय में मरम्मति की अवाश्यकता है। जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार द्वारा बताया गया कि कटिहार में सहकारिता के अधीन कुल 2 मतदान केंद्र अवस्थित है। सभी मतदान केंद्रों पर आश्वस्त न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। केवल दो मतदान केंद्र के शौचालय में मरम्मति की अवाश्यकता है।
- **परिवहन विभाग** :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि सर्व प्रथम मतदान केन्द्रों की संख्या के अनुसार कोटीवार वाहनों की आवश्यकता का आकलन कर लें। इसके अतिरिक्त जिला में उपलब्ध वाहनों का प्रतिवेदन निबंधन एवं पता के आधार पर तैयार कर 30.8.2025 तक प्रेषित करें। यह पाया गया कि उनका वर्तमान प्रतिवेदन सही आकड़ों पर आधारित नहीं है।

बैठक में समीक्षोपरांत निम्न निदेश दिया जाता है :-

- सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी, जिनके अधीन भवनों में मतदान केंद्र अवस्थित हैं, सभी मतदान केंद्रों का Physical Verification कर सभी आश्वस्त न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को हर हाल में 10 सितम्बर तक आश्वस्त न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करा दिया जाय।
- सभी कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडलों को निदेश दिया जाता है कि जितने भी मतदान केंद्रों (चलंत मतदान केंद्रों सहित) पर बिजली की व्यवस्था नहीं है अथवा बिजली की आपूर्त्ति में समस्या है, वहाँ Physical Verification कर 10 सितम्बर तक अचूक रूप से बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- बैठक में उपस्थित सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने जिले के निबंधित वाहनों की सूची तैयार करें तथा 2 दिनों के अंदर अतिरिक्त वाहनों की सूची के साथ यह प्रमाण पत्र दें कि कोई वाहन सूची में नहीं छूटा है।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 5384 दिनांक 28/08/25

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/उप निदेशक कल्याण/उप निदेशक, पंचायत राज को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त बैठक में समेकित प्रतिवेदन के साथ ससमय भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः- जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0),पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajek.
28/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।